//पुलिस परिवहन एवं शोध संस्थान//

पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

ईमेल- aig_ptri@mppolice.gov.in
पीटीआरआई, जहांगीराबाद भोपाल पिन- 462008

क्रमांकः- पुमु/अमनि/पीटीआरआई/सेल-2(अभि.)/ /2026 भोपाल, दिनांक- .04.2026

प्रति,

1. **पुलिस आयुक्त, भोपाल/इन्दौर**
2. **समस्त जिला पुलिस अधीक्षक,**

विषय: **प्रदेश स्तर पर हेलमेट धारण करने की अनिवार्यता हेतु 26/04/2026 से 10/05/2026 तक विशेष अभियान चलाने बाबत्।**

---000---

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि, प्रदेश में प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटनाओं के कारण असंख्य अमुल्य जाने समाप्त हो जाती है। इनमें से अधिकाशं दुर्घटनाएं यातायात नियमों की अनदेखी, असावधानी एवं लापरवाही के कारण होती है। यह स्थिति अत्यंत चिंता का विषय है। प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटनाओं में 50 प्रतिशत मृत्यु दो पहिया वाहन चालकों की होती है, जो अधिकांश वाहन चालक द्वारा हेलमेट नहीं पहनने से होती है। इस गंभीर समस्या के समाधान हेतु पुलिस विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।ऐसी परिस्थितियों में हेलमेट की अनिवार्यता को सख्ती से लागू करना एवं जनमानस में इसके प्रति व्यवहार परिवर्तन लाना समय की महती आवश्यकता है।

इन बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने एवं दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट धारण करने की अनिवार्यता को लेकर प्रदेश स्तर पर दिनांक 26/04/2026 से 10/05/2026 तक विशेष अभियान संचालित किया जाना है। इस अभियान का उद्देश्य दो पहिया वाहन चालकों, विशेषकर युवाओं और महिला चालकों, को हेलमेट के प्रति जागरूक करना, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम सुनिश्चित करना एवं ट्रैफिक नियमों के पालन को प्रोत्साहित करना है, ताकि जनमानस में हेलमेट उपयोग के प्रति सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सके।

विशेष अभियान में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें:-

1. सख्त प्रवर्तन के साथ सुधारात्मक दृष्टिकोण- हेलमेट धारण नहीं करने वाले उल्लंघनकर्ता वाहन चालकों के विरूध्द चालानी कार्यवाही करते हुये POS मशीन के माध्यम से अधिक से अधिक ड्रायविंग लाईसेंस निलंबन हेतु परिवहन विभाग की ओर भेजा जाना सुनिश्चित करें।

2. शैक्षणिक संस्थानों में जन जागरूकता कार्यक्रम – विद्यालयों/ महाविद्यालयों/ कोचिंग संस्थानों में जाकर विद्यार्थियों को हेलमेट धारण करने की अनिवार्यता एवं यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जावे।

लगातार............

3. **मीडिया का प्रभावी उपयोग –** ट्रैफिक नियमों से संबंधित संदेश, लघु वीडियों एवं यातायात जागरूकता सामग्री को फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुये व्यापक प्रचार-प्रसार किया जावे।

यह अभियान केवल चालानी कार्यवाही तक सीमित न रहे अपितु इसका प्रभावी क्रियान्वयन व्यापक स्तर पर दिखाई दे। इस हेतु अपने अधीनस्थ समस्त थानों को इस अभियान में सक्रिय सहभागिता हेतु निर्देशित किया जाए। उक्त अभियान को गंभीरता से लेते हुए स्थानीय प्रशासन एवं जनसंपर्क विभाग के समन्वय से प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें एवं की गई कार्यवाहियों का पालन प्रतिवेदन **प्रतिदिवस** अनिवार्य रुप से इस कार्यालय के ई-मेल cell02_ptri@mppolice.gov.in या aig_ptri@mppolice.gov.in पर भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्नः- प्रोफार्मा

हस्ता /-
(विवेक शर्मा)
अति. पुलिस महानिरीदेशक
पी.टी.आर.आई. पु.मु.भोपाल

क्रमांकः पुमु/अमनि/पीटीआरआई/सेल-2(अभि)/ /2026 दिनांक - 04.2026

प्रतिलिपि- कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/ समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, म.प्र.।
2. समस्त रेंज पुलिस उप महानिरीक्षक, म.प्र.।

24/04/26

(राजेश कुमार मिश्र)
सहायक पुलिस महानिरीक्षक
पी.टी.आर.आई. पु.मु.भोपाल